"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010— माघ 2, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भरत लाल मंजारे आत्मज श्री मुरित राम मंजारे, उम्र 44 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 111/डी. केम्प 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र दीपेश कुमार मंजारे जिनकी जन्मतिथि 2-7-2007 है का नाम परिवर्तित कर जितेन्द्र कुमार मंजारे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र जितेन्द्र कुमार मंजारे आत्मज श्री भरत लाल मंजारे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दीपेश कुमार मंजारे	जितेन्द्र कुमार मंजारे
आत्मज-श्री भरत लाल मंजारे	आत्मज-श्री भरत लाल मंजारे
निवासी-क्वाटर नं. 111/डी.	निवासी-क्वाटर नं. 111/डी.
केम्प 1, भिलाई	केम्प 1, भिलाई
तहासील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहासील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अरविंद कुमार आत्मज श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव, उम्र 37 वर्ष, निवासी प्लाट नं. बी. 65, सड़क-12, स्मृति नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम श्रीवास्तव जोड़कर अपना नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अरविंद कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अरविंद कुमार आत्मज-श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव निवासी-टी. सी. पी. सी. के पास - बंगलापारा, पोस्ट-नारायणपुर जिला-नारायणपुर (छ. ग.)	अरविंद कुमार श्रीवास्तव आत्मज-श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव निवासी-प्लाट नं. बी 65, सड़क 12, स्मृति नगर भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 1 जनवरी 2010

प्ररूप-4
[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम
नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /2/प्र-3/लो.न्या./अविअ/09.—यतः कि श्री मदन मोहन त्रिपाठी एवं अन्य-3 निवासी प्लाट नंबर 74/5 नेहरूनगर भिलाई ने कृष्णा ारिटेबल ट्रस्ट को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10-2-2010 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथपा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट, प्लाट नंबर 74/5 नेहरूनगर (पूर्व) भिलाई (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	21,000/-(अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

श्रुति सिंह,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.